**भारत सरकार**
**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**
**उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग**
**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 1257**

**मंगलवार, 03 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**स्टार्टअप फ़्लिपिंग को हतोत्साहित करने के उपाय**

**1257. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लिः**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश भर में पंजीकृत स्टार्टअप्स का ब्यौरा और संख्या क्या है और वर्ष 2019 से 2024 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आंकड़े क्या हैं;

(ख) वर्तमान वर्ष सहित विगत पांच वर्षों के दौरान अन्य देशों में स्थानांतरित हुए स्टार्टअप्स की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) स्टार्टअप्स को अन्य देशों में स्थानांतरित होने से रोकने के लिए कार्यान्वित किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है, तथा इन प्रयासों के कारण कितने स्टार्टअप्स वापस लौटे हैं;

(घ) स्टार्टअप्स द्वारा अन्य देशों में स्थानांतरित होने के लिए बताए गए प्रमुख कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन विशिष्ट क्षेत्रों अथवा उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिनमें वर्तमान वर्ष सहित विगत पांच वर्षों के दौरान स्टार्टअप फ्लिपिंग की घटना पाई गई है और रुझान देखे गए हैं?

**उत्तर**
**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री जितिन प्रसाद)**

**(क) :** सरकार ने नवप्रयोग व स्टार्टअप को बढ़ावा देने और देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक सुदृढ़ इकोसिस्टम का निर्माण करने के उद्देश्य से 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की।

सा.का.नि. अधिसूचना 127 (अ) दिनांक 19 फरवरी, 2019 के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा कंपनियों को 'स्टार्टअप्स' के रूप में मान्यता दी जाती है। 31 अक्टूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, डीपीआईआईटी द्वारा 1,52,139 कंपनियों को स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता दी गई है।

31 अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुसार, विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष यथा 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 के दौरान डीपीआईआईटी द्वारा मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

**(ख) :** सरकार द्वारा ऐसी कोई भी जानकारी केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

**(ग) से (ङ) :** कारोबार करने की अनुकूलता, निधीयन आकर्षित करने की क्षमता और अन्य व्यवसाय विशिष्ट कारक स्टार्टअप्स के लिए अपने देश में बने रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विनियामक वातावरण को आसान बनाने तथा अनुकूल व्यावसायिक माहौल का निर्माण करने के लिए सरकार ने वर्ष 2016 में स्टार्टअप

इंडिया पहल की शुरुआत से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने, पूंजी जुटाने और अनुपालन बोझ को कम करने हेतु विभिन्न उपाय किए हैं।

विशेष रूप से, उदयीमान कंपनियों को पुन: मूल स्थान पर स्थापित करने (रिवर्स फ्लिपिंग) के उपायों में सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजेल कर की समाप्ति की हाल में की गई घोषणा, देश में इन-बाउंड निवेश को बढ़ावा देना शामिल है। सरकार ने कर व्यवस्था को आसान बनाने के लिए, विभिन्न प्रतिभूतियों में दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर के सामंजस्य की शुरुआत भी की है।

इसके अलावा, इन-बाउंड सीमापार विलय प्रक्रिया को आसान बनाने तथा देश के बाहर निगमित धारित कंपनी के अपने पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय सहायक कंपनी के साथ विलय की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 के नियम 25क में संशोधन किया गया है।

साथ ही, भारतीय स्टार्टअप्स को वापस लाने के लिए, सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में वित्तीय सेवाओं, वित्तीय संस्थाओं तथा वित्तीय उत्पादों को विकसित और विनियमित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) को अधिसूचित किया है। भारतीय कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा वर्तमान में देश के बाहर किए जा रहे (ऑफशोर) क्रियाकलापों को देश में करने (ऑनशोर) में सक्षम बनाने के लिए विश्व स्तरीय अंतराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र का निर्माण करना आईएफएससीए का अधिदेश है। ऐसे उपायों के जरिए, आईएफएससीए भारतीय नवप्रयोग की ऑनशोरिंग को बढ़ावा देने अर्थात् वर्तमान में विदेश में स्थित भारतीय स्टार्टअप्स को स्वदेश में गिफ्ट सिटी में पुन: स्थापित करने में सक्रिय रूप से संलग्न है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने स्टार्टअप्स द्वारा देश में शुरुआत करने तथा व्यवसाय करने के लिए विशिष्ट उपाय किए हैं। ऐसे प्रमुख विशिष्ट सुधारों की सूची **अनुबंध-II** में दी गई है।

*****

**अनुबंध-I**

**दिनांक 03.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1257 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

**31 अक्तूबर 2024 की स्थिति के अनुसार, विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष यथा 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 के दौरान डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप्स के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा**

| राज्य | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (31 अक्तूबर 2024 की स्थिति के अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 8 | 5 | 13 | 10 | 13 | 16 |
| आंध्र प्रदेश | 179 | 235 | 298 | 381 | 586 | 499 |
| अरुणाचल प्रदेश | 2 | 0 | 4 | 9 | 17 | 10 |
| असम | 71 | 119 | 190 | 285 | 362 | 294 |
| बिहार | 158 | 265 | 390 | 525 | 812 | 707 |
| चंडीगढ़ | 41 | 55 | 69 | 81 | 126 | 91 |
| छत्तीसगढ़ | 166 | 155 | 167 | 237 | 362 | 403 |
| दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव | 3 | 5 | 12 | 12 | 11 | 12 |
| दिल्ली | 1,450 | 1,817 | 2,215 | 2,580 | 3,161 | 2,416 |
| गोवा | 43 | 67 | 81 | 107 | 98 | 100 |
| गुजरात | 644 | 881 | 1,728 | 2,282 | 3,295 | 2,931 |
| हरियाणा | 730 | 830 | 1,070 | 1,334 | 1,742 | 1,470 |
| हिमाचल प्रदेश | 31 | 41 | 56 | 120 | 144 | 125 |
| जम्मू और कश्मीर | 38 | 64 | 131 | 170 | 246 | 229 |
| झारखंड | 89 | 165 | 191 | 239 | 337 | 279 |
| कर्नाटक | 1,746 | 1,776 | 2,157 | 2,568 | 3,036 | 2,641 |
| केरल | 669 | 710 | 923 | 1,078 | 1,296 | 967 |
| लद्दाख | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| लक्षद्वीप | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| मध्य प्रदेश | 335 | 427 | 562 | 898 | 1,267 | 1,013 |
| महाराष्ट्र | 2,227 | 2,736 | 3,737 | 4,812 | 5,816 | 4,825 |
| मणिपुर | 6 | 13 | 37 | 31 | 26 | 40 |
| मेघालय | 6 | 0 | 9 | 10 | 18 | 13 |
| मिजोरम | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | 15 |
| नागालैंड | 2 | 5 | 7 | 7 | 22 | 30 |
| ओडिशा | 187 | 280 | 397 | 451 | 620 | 448 |
| पुदुच्चेरी | 11 | 14 | 17 | 30 | 43 | 26 |
| पंजाब | 99 | 146 | 244 | 294 | 443 | 338 |
| राजस्थान | 358 | 503 | 623 | 992 | 1,445 | 1,074 |
| सिक्किम | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| तमिलनाडु | 632 | 772 | 1,107 | 1,811 | 2,816 | 2,132 |
| तेलंगाना | 620 | 819 | 994 | 1,381 | 1,760 | 1,484 |
| त्रिपुरा | 7 | 23 | 12 | 27 | 23 | 37 |
| उत्तर प्रदेश | 906 | 1,401 | 1,981 | 2,583 | 3,432 | 2,896 |

| राज्य | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (31 अक्तूबर 2024 की स्थिति के अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उत्तराखंड | 98 | 114 | 162 | 236 | 271 | 218 |
| पश्चिम बंगाल | 320 | 405 | 692 | 1,002 | 1,174 | 943 |
| **कुल योग** | **11,885** | **14,852** | **20,282** | **26,596** | **34,842** | **28,727** |

*****

**अनुबंध-II**

**दिनांक 03.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1257 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए प्रमुख सुधारों की सूची:

i. **विभेदक (डिफ्रेंशियल) मताधिकार (डीवीआर):** निजी लिमिटेड कंपनी होने के नाते स्टार्टअप्स, पूंजी जुटाने के लिए कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 4 में निहित किसी भी रोक के बिना, डीवीआर वाले इक्विटी शेयर जारी करने के लिए स्वतंत्र हैं क्योंकि निजी लिमिटेड कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 43 और 47 को लागू किए जाने से छूट प्राप्त है (अधिसूचना संख्या 464(अ) दिनांक 05.06.2015 के जरिए)।

ii. **जमा राशि:** सामान्यत: कंपनियां अपने सदस्यों से कोई भी जमा स्वीकार अथवा नवीनीकृत कर सकती हैं, जो कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी, मुक्त आरक्षित निधि और प्रतिभूमि प्रीमियम राशि के 35 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। किन्तु स्टार्टअप्स अपने सदस्यों से बिना किसी सीमा के अपने निगमन की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए जमा स्वीकार कर सकती हैं (कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 3 के उप-नियम (3) का दूसरा परंतुक)।

iii. **परिवर्तनीय नोट:** स्टार्टअप्स एक बार में एक व्यक्ति से 25 लाख रुपए या इससे अधिक की राशि परिवर्तनीय नोट (इक्विटी शेयर में परिवर्तनीय अथवा एक निश्चित अवधि, जो जारी किए जाने की तारीख से दस वर्ष से अधिक न हो, के भीतर भुगतान योग्य) के रूप में प्राप्त कर सकते हैं तथा ऐसे लेन-देन को जमा राशि संबंधी नियमों के तहत जमा नहीं माना जाता है। (कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 का नियम 2(1)(ग)(xvii))

iv. **स्वेट इक्विटी:** गैर-सूचीबद्ध कंपनियां किसी भी समय प्रदत्त पूंजी के 25 प्रतिशत तक स्वेट इक्विटी शेयर जारी कर सकती हैं, जिसमें कुछ प्रतिबंध शामिल हैं। किन्तु स्टार्टअप कंपनी अपने निगमीकरण अथवा पंजीकरण की तारीख से दस वर्ष तक की अवधि के लिए स्वेट इक्विटी शेयर जारी कर सकती हैं, जो प्रदत्त पूंजी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा (कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (4) का दूसरा परंतुक)।

v. **कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ईएसओपी):** सामान्यत:, ईएसओपी ऐसे कर्मचारी को नहीं दिया जाता, जो प्रमोटर है अथवा प्रमोटर समूह से संबंधित है तथा ऐसा निदेशक जिसके पास स्वयं अथवा अपने संबंधी अथवा किसी कॉर्पोरेट के जरिए, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी की इक्विटी का 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। किन्तु स्टार्टअप के मामले में, निगमन की तारीख से दस वर्ष तक के लिए ऐसी शर्त लागू नहीं होगी (कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 का नियम 12(1)(ग))।

vi. **नकदी प्रवाह संबंधी विवरण:** एक निजी कंपनी, जो स्टार्टअप/छोटी कंपनी है, उसके लिए वित्तीय विवरण में नकदी प्रवाह संबंधी विवरण को शामिल करना आवश्यक नहीं है, जो कि अन्य मामलों में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(40) के तहत अनिवार्य आवश्यकता है।

**vii.** **वार्षिक रिटर्न पर हस्ताक्षर:** स्टार्टअप कंपनियों/छोटी कंपनियों के मामले में, वार्षिक रिटर्न पर कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे अथवा जहां कंपनी सचिव नहीं है, वहां कंपनी के निदेशक के हस्ताक्षर होंगे। (अधिसूचना संख्या 583(अ) दिनांक 13.06.2017)

**viii.** **निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या:** कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, 120 दिनों में कम से कम एक बार, वर्ष में चार बार, कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक होनी अपेक्षित है। हालांकि, स्टार्टअप कंपनियों/छोटी कंपनियों के मामले में, कंपनी अधिनियम की धारा 173(5) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए एक कैलेंडर वर्ष के छ: माह में एक बार निदेशक मंडल की बैठक की जानी अपेक्षित है, जिसमें दो बैठकों के बीच 90 दिन से कम का अंतर न हो। (अधिसूचना संख्या 585(अ) दिनांक 13.06.2017)

ix. **कंपनी (अनुज्ञेय अधिकारिताओं में साधारण शेयर सूचीबद्ध करना) नियम, 2024** को दिनांक 24.01.2024 की अधिसूचना के जरिए जारी किया गया है। इस नीतिगत पहल के जरिए, भारतीय सार्वजनिक कंपनियों को गिफ्ट आईएफएससी में अंतराष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंजों पर अपने इक्विटी शेयर सूचीबद्ध करने की अनुमति दी गई है। इससे भारतीय सार्वजनिक कंपनियां, विशेष रूप से उदयीमान ओर प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के स्टार्टअप्स तथा कंपनियां, घरेलू एक्सचेंजों के अलावा वैश्विक पूंजी तक पहुंच बनाने के वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने में सक्षम होती हैं। इससे विकास और कार्यनिष्पादन के वैश्विक मानदंडों के अनुरूप भारतीय कंपनियों का बेहतर मूल्य निर्धारण होने, विदेशी निवेश प्रवाह को बढ़ावा मिलने, विकास के अवसर मिलने तथा निवेशक आधार का विस्तार होने की उम्मीद है। सार्वजनिक भारतीय कंपनियों को दोनों बाजारों, अर्थात् भारतीय रुपए में पूंजी जुटाने के लिए घरेलू बाजार तथा वैश्विक निवेशकों से विदेशी मुद्रा में पूंजी जुटाने के लिए आईएफएससी में अंतर्राष्ट्रीय बाजार, तक पहुंचने का अवसर मिलेगा।

x. दिनांक 09.09.2024 को **कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 के नियम 25क में संशोधन किया गया** (दिनांक 17.09.2024 से लागू)। इस संशोधन के परिणामस्वरूप, विदेश में निगमित धारित कंपनी के भारत में अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक निगमित कंपनी के साथ विलय के लिए केंद्र सरकार का अनुमोदन (क्षेत्रीय निदेशकों को प्रत्यायोजित) अपेक्षित होगा। इस संशोधन से पहले, ऐसे विलय के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) का अनुमोदन अपेक्षित था। इससे विलय प्रक्रिया में तेजी आएगी तथा एनसीएलटी को अन्य क्षेत्रों पर ध्यान देने का अवसर मिलेगा।

*****